He Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 11, 2012/पौष 21, 1933

No. 8]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 11, 2012/PAUSA 21, 1933

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2012

सा.का.नि. 8(अ).—केन्द्र सरकार, चार्टर्ड अकाउटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 28घ की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 29क के खंड (छ) की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा चार्टर्ड अकाउटेंट क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया तथा बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा की शर्ते व निबंधन और भन्ने नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत: :—

- 1. (1) इन नियमों को चार्टर्ड अकाउटेंट क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया तथा बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा की शर्तें व निबंधन और भत्ते (संशोधन) नियम, 2012 कहा जाएगा।
 - (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया तथा बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा की शर्तें व निबंधन और भत्ते नियम, 2006 में नियम 3 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, नामत:—

"3क क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की बैठक फीस.—

क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों को प्रत्येक बैठक के लिए निम्नलिखित राशि दी जाएगी, नामत :—

(क) क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की - बीस हजार रुपए;प्रत्येक बैठक के लिए

(ख) क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड अथवा उप-समिति द्वारा बुलाई जाने वाली किसी अन्य बैठक के लिए

- पाँच हज़ार रुपए।"

[फा. सं. 1/19/2011-पीआई]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी.—मूल नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 27 नवंबर, 2006 की संख्या सा.का.नि. 735(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2012

GS.R. 8(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of clause (g) of section 29A read with subsection (1) of Section 28D of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following amendments in the Chartered Accountants Procedures of Meetings of Quality Review Board and terms and conditions of service and allowances of the Chairperson and Members of the Board Rules, 2006, namely:—

1. (1) These rules may be called the Chartered Accountants procedures of meetings of Quality Review Board and terms and conditions of service and allowances of Chairperson and members of the Board (Amendment) Rules, 2012.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Chartered Accountants procedures of meetings of Quality Review Board and terms and conditions of service and allowances of the Chairperson and Members of the Board Rules, 2006 after rule 3, the following rule shall be inserted, namely:—
- "3A Sitting Fees of Chairperson and Members of Quality Review Board.—

The Chairperson and the members of the Quality Review Board shall be paid the following amount for each meeting, namely:—

- (a) for each meeting of the twenty thousand rupees; Ouality Review Board
- (b) for any other meeting five thousand rupees." called by the Quality
 Review Board or sub-committee

[F. No. 1/19/2011-PI]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 735(E), dated the 27th November, 2006.